राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

कमांकः प. ३(५५)नविवि / ३ / ०७

जयपुर दिनांकः 17.12.07

:: परिपत्र ::

विषयः सार्वजनिक व चेरिटेवल संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवटन के संबंध में नीति

उपरोक्त संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के परिपत्र कमांक प.3(35)नविवि/3/2007 दिनांक 14.02.2005 (दिषयः सार्वजनिक व चेरीटेबल संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में नीति) में निम्न शर्तों को जोड़ा जाता

- संस्था को जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गई है उसके अतिरिक्त उक्त भूमि का कोई अन्य उपयोग तो नहीं किया जा रहा है, इस हेतु संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित भूमि का प्रतिवर्ध निरीक्षण किया जावेगा। यदि भूमि का अन्य उपयोग किया जाना पाया जाता है तो यह आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
- संस्था के कार्चरत नहीं रहने या अन्य संस्था में विलिनी:करण होने की स्थिति भें आवंटित भूँगि एवं उस पर किये गरो निर्माण बिना मुआवजे के संबंधित स्थानीय निकाय में स्वतः ही समाहित हो जावेगी।
- संस्था द्वारा रियायती दर पर आवंटित भूमि का किसी अन्य को हस्तान्तरण अवैद्य एवं शून्य भाना जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपन्न एवं निर्देशों की पालना राजस्थान आवासन मण्डल एवं स्थानीय निकायों द्वारा उक्त संदर्भ में सुनिश्चित की जायेगी।
- जिन संस्थाओं को रियावती दर पर भूमि आवंटित की गई है, उन संस्थाओं को आवंटन की शर्ते जिसमें आमजन हेतु रियायतों/सुविधाओं का वर्णन किया गया है का प्रदर्शन निर्मित भवन के मुख्यद्वार के पास सूचना पट्ट पर स्थायी रूप से शंकित करना होगा।

साथ ही शिक्षण संस्थाओं से एक अण्डरटेकिंग ली जावे कि शिक्षण संस्थाओं ने 26 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछस वर्ग, विकलांग, शहीद रैनिकों कं बच्चों व विद्यवाओं के दच्चों के लिए आरक्षित एखी जावें। इन 25 प्रतिशत सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत राथा अनुसूचित जनजाति के लिए 8 प्रतिशत एवं विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षित रखी जागेगी तथा शेष शीटें अन्य वर्गों के लिये आरक्षित रखी जागेगी तथा शेष शीटें अन्य वर्गों के लिये आरक्षित रखी जागेगी तथा शेष भी में आरक्षित सीटों को

भरने के लिये आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो उन सीटों पर उपरोक्त वर्णित श्रेणी के अन्य श्रेणी वर्ष के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। उवत सभी आरक्षित श्रेणियों के विद्यार्थियों से शिक्षण संस्थाओं की निर्धारित फीस का केवल 50 प्रतिशत राशि ही वसूल की जावेगी तथा इन शर्तों को संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी आवेदन पत्र/प्रोसपेक्ट्स में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जावेगा। संस्था द्वारा उक्त शर्तों की पालना करने के संबंध में वचनबद्ध पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। संस्था द्वारा शर्तों की अवहेलना किये जाने पर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

वर्तमान में उक्त परिपन्न के आघार पर नगरपालिका/नगर निगम/नगर विकास न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल के प्रकरण निस्तारित किये जा रहे है। इस विभाग के पूर्व जारी परिपन्न कमांक ए.3(35)नविवि/3/2007 दिनांक 14.02.2005 के प्रथम पैरा में राजस्थान आवासन मण्डल को भी जोड़ा जाता है।

पूर्व में जारी परिपन्न (क्मांक प.3(35)नविवि/3/2007 दिनांक 14.02.2005) के साथ यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा और वर्तमान में नगरीय विकास, आवासन विभाग तथा स्वायत्व शासन विभाग के अधीन सभी संस्थाओं में विचाराधीन मामलों पर भी लागू होगा।

आज्ञा से (सुनील कुमार शमी) शासन उप संविव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय, राज0 सरकार।
- 2. निजी सचिद, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास दिमाग।
- 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विमाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विमाग।
- आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को इस विमाग के पूर्व जारी परिपत्र कमांक प.3(35)निवि/3/2007 दिनांक 14.02.2005 की प्रति भी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर मिजवाई जा रही है।
- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- 9. निदेशक स्थानीय निकाय विनाग, विभाग।
- 10. मुख्य मगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- 11, क्षच्यत / सथिव नगर विकास न्यास, समस्त।
- 12. एक्षित पत्रावली।

शासन उप कविव

(122)